



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-274007
CG-DL-E-02072026-274007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3438]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3438]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3573(अ).— केंद्रीय सरकार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 के साथ पठित, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप-धारा(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए निम्नलिखित को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 486 (अ), तारीख 12 अगस्त, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

(क) क्रम संख्यांक 1 से 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (क) के तहत नियुक्त

“1. अध्यक्ष,
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण.
धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के तहत नियुक्त: अध्यक्ष;

2. कृषि विपणन सलाहकार,
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली।
धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ग) के तहत नियुक्त: सदस्य;
(पदेन)

3. कार्यक्रम निदेशक, (कृषि प्रौद्योगिकी),
नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001. सदस्य;”

(ख) क्रम संख्या 7 से 24 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ड.) के तहत नियुक्त:

“7. सलाहकार (व्यापार),
कृषि और किसान कल्याण विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली। सदस्य;

8. निदेशक (निर्यात उत्पाद - कृषि),
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली। सदस्य;

9. आर्थिक सलाहकार (वित्त),
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली। सदस्य;

10. संयुक्त सचिव,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली – 110049. सदस्य;

11. निदेशक (आयात-निर्यात),
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली। सदस्य;

12. सलाहकार (लागत),
उपभोक्ता मामले विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली। सदस्य;

13. आर्थिक सलाहकार, सदस्य;
नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
14. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सदस्य;
परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (च) के तहत नियुक्त:
15. निदेशक, सदस्य;
उद्योग निदेशालय,
उद्योग विभाग,
झारखंड सरकार.
16. प्रबंध निदेशक, सदस्य;
कर्नाटक राज्य कृषि उपज, प्रसंस्करण और निर्यात निगम लिमिटेड,
नंबर 17, जनरल के.एस. थिमैया रोड (रिचमंड रोड),
बेंगलुरु - 560025, कर्नाटक सरकार.
17. निदेशक, (उद्योग और वाणिज्य), सदस्य;
उद्योग और वाणिज्य निदेशालय,
विकास भवन, विकास भवन पी.ओ.,
तिरुवनंतपुरम - 695033, केरल सरकार.
18. निदेशक, सदस्य;
बागवानी निदेशालय,
नवबहार, शिमला - 2, हिमाचल प्रदेश सरकार.
19. प्रबंध निदेशक, सदस्य;
जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन,
उद्योग और वाणिज्य विभाग,
सिविल सचिवालय, जम्मू या श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर सरकार.
- धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (छ.) के तहत नियुक्त:
20. नेशनल प्रोफेसर, सदस्य;
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
कृषि अनुसंधान भवन-II,
पूसा, नई दिल्ली - 110 012.
21. प्रबंध निदेशक, सदस्य;
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड,
प्लॉट नंबर 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा).

22. प्रबंध निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड,
नाफेड हाउस, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक,
रिंग रोड, नई दिल्ली – 110014. सदस्य;
23. मुख्य वैज्ञानिक,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद -
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, मैसूर- 570020. सदस्य;
24. अपर निदेशक/प्रोफेसर,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग
मुंबई, ई -2, एमआईडीसी एरिया, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. सदस्य।”

[फा. सं. 6/33/2017-ईपी (एग्री. IV)(पार्ट.1)]

प्रिया पी. नायर, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ.486 (अ), तारीख 12 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार संख्यांक का.आ. 857, तारीख 17 फरवरी 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3573(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby appoints the following members to the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for a period of two years with effect from the date of publication of this notification or until further orders, whichever is earlier, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986, namely:-

In the said notification, -

- (a) for serial numbers 1 to 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

Appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 4:

- “1. The Chairman,
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. Chairman;

Appointed under clause (b) of sub-section (4) of section 4:

2. Agricultural Marketing Adviser,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,
Krishi Bhawan, New Delhi. Member;
(ex officio)

Appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 4:

3. Programme Director (Agricultural Technology),
NITI Aayog, Sansad Marg, New Delhi – 110001. Member;”

- (b) for serial numbers 7 to 24 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

Appointed under clause (e) of sub-section (4) of section 4:

- “7. Advisor (Trade),
Department of Agriculture and Farmers Welfare,
Krishi Bhawan, New Delhi. Member;
8. Director (Export Products - Agriculture),
Department of Commerce,
Ministry of Commerce and Industry,
Vanijya Bhawan, New Delhi. Member;
9. Economic Adviser (Finance),
Department of Commerce,
Vanijya Bhawan, New Delhi. Member;
10. Joint Secretary,
Ministry of Food Processing Industries,
Punchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi – 110049 Member;
11. Director (Impex),
Department of Food and Public Distribution,
Krishi Bhawan, New Delhi. Member;
12. Adviser (Cost),
Department of Consumer Affairs,
Krishi Bhawan, New Delhi. Member;
13. Economic Advisor,
Ministry of Civil Aviation, B Block, Rajiv Gandhi Bhawan,
Safdarjung Airport, New Delhi. Member;
14. Ministry of Road Transport and Highways,
Transport Bhawan, Sansad Marg, New Delhi. Member;

Appointed under clause (f) of sub-section (4) of section 4:

15. Director,
Directorate of Industries,
Department of Industries,
Government of Jharkhand. Member;
16. Managing Director,
Karnataka State Agricultural Produce, Processing and Export Corporation,
Limited, No. 17, General K.S. Thimmayya Road (Richmond Road),
Bengaluru – 560025, Government of Karnataka, Member;
17. Director, Industries & Commerce,
Directorate of Industries & Commerce,
Vikas Bhavan, Vikas Bhavan P.O.,
Thiruvananthapuram - 695033, Government of Kerala. Member;
18. Director,
Directorate of Horticulture,
Navbahar, Shimla – 2, Government of Himachal Pradesh. Member;
19. Managing Director,
Jammu & Kashmir Trade Promotion Organization,
Industries & Commerce Department, Member;

Civil Secretariat, Jammu or Srinagar, Government of Jammu & Kashmir.

Appointed under clause (g) of sub-section (4) of section 4:

- | | |
|--|----------|
| 20. National Professor,
Indian Council of Agricultural Research,
Krishi Anusandhan Bhavan-II,
Pusa, New Delhi – 110 012. | Member; |
| 21. Managing Director,
National Horticulture Board,
Plot No. 85, Institutional Area,
Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana). | Member; |
| Managing Director,
National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., | Member; |
| 22. NAFED House, Siddhartha Enclave, Ashram Chowk,
Ring Road, New Delhi – 110014. | |
| 23. Chief Scientist,
Council of Scientific and Industrial Research - Central Food Technological,
Research Institute, Mysore- 570020. | Member; |
| 24. Additional Director/Professor,
Indian Institute of Packaging,
Mumbai, E-2, MIDC Area, Andheri (E), Mumbai. | Member”. |

[F. No. 6/33/2017-EP (Agri. IV)(Pt.1)]

PRIYA P. NAIR, Economic Advisor

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* S. O. 486(E), dated the 12th August, 1986 and last amended *vide* S.O. 857, dated the 17th February, 2025.